सामाजिक पर्यावरण के उत्थान में डॉ0 अम्बेडकर की भूमिका

(The Role of Dr. Ambedakar in Social Environment Progress)

Avneesh kumar Gautam
Ph.D. Research Scholar
BBAU, Lucknow

भूमिकाः–

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर एक महान समाज–सुधारक थे उन्होंने भारत में सामाजिक–पर्यावरण के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। कोई भी समाज तब तक सामाजिक रूप से परिपूर्ण नहीं समझा जा सकता जब तक समाज में सभी को एक मनुष्य होने के नाते समान सामाजिक–आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति न प्राप्त हो। इन सभी में डॉ0 अम्बेडकर ने सामाजिक पर्यावरण के उत्थान पर सर्वाधिक बल दिया। भारत में उनका जीवन सामाजिक पर्यावरण सुधार के श्रेष्ठतम कार्य को समर्पित था। वे एक ऐसे समाज सुधारक थे जो मात्र भाषणों तक ही अपने को सीमित करने के बजाय स्वयं अपने जीवन और कार्यों से सामाजिक रूढ़िवादिता, जातिप्रथा एवं अस्पृश्यता को हटाने में जीवन भर लगे रहे। उन्होंने राजनीति के बजाय सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने को प्राथमिकता प्रदान की। वे जानते थे कि एक राजनीतिक नेता के कार्यों की तुलना में समाज सुधारक के कार्य अधिक कठिनाई युक्त है वह सम–समाज के प्रेरक थे उन्होंने अछूतों, महिलाओं एवं मजदूरों सभी को समाज में उचित दर्जा दिलाने हेतु संघर्ष किया। वह सामाजिक समानता, मौलिक अधिकार, मानवीय न्याय, विश्वशान्ति, समाजवाद लोकतन्त्र एवं देश की एकता के संघर्ष करते रहे।[1]

डॉ0 अम्बेडकर के सामाजिक पर्यावरण उत्थान सम्बन्धी विचार–

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर एक स्वच्छ सामाजिक पर्यावरण के समर्थक थे उनका मानना था कि सामज की प्रगति तभी सम्भव है जब समाज में सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। इसके लिए उन्होंने समय–समय पर समाज में समाज सुधार हेतु अपने जीवन में संघर्ष किया। उनका योगदान केवल दलित वर्ग तक ही सीमित नही था वरन् उन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं, मजदूरो एवं सभी कमजोर वर्गों को समाज में उचित सम्मान एवं प्रतिनिधित्व की वकालत की थी। उनके सामाजिक पर्यावरण सुधार सम्बन्धी दर्शन को निम्न बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है–

1. **दलित एवं भारतीय समाज–** डॉ0 अम्बेडकर खुद एक दलित जाति में जन्में थे उस समय समाज में दलितों की स्थिति नरक की तरह थी उन्हें दलित होने के नाते भारतीय समाज में कई बार कष्ट एवं अपमान सहना पड़ा। डॉ0 अम्बेडकर ने मई 1916 को कोलम्बिया विश्वविद्यालय न्यूयार्क में आयोजित गोष्ठी में नृ–विज्ञान पर ''कास्ट इन इण्डिया : दियर मेकेनिज्म, जेनेटिक्स एण्ड डेवलपमेण्ट'' पर अपना भाषण प्रस्तुत किया, जिसकी काफी प्रशंसा की गयी। सन् 1936 ई0 में ''ऐनीहिलेसन आफ कास्ट'' शीर्षक पर भाषण ऐतिहासिक महत्व के है। इन दोनों में ही उन्होंने भारत में जाति प्रथा पर कड़ा विरोध प्रकट किया है। उनका मानना था कि जाति की सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों ही रूपों में एक विकराल समस्या है। वे जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिये भारत के विधि निर्माता मनु को जिम्मेदार ठहराते थे। उनके शब्दों में ''मनु ने जाति के विधान का निर्माण नही किया और न वह ऐसा कर सकता था। जाति प्रथा मनु से पहले

विद्यमान थी यह तो उसका पोषक था इसलिए उसने इसे दर्शन का रूप दिया। प्रचिलित जाति प्रथा को ही उसने संहिता का रूप दिया और जाति धर्म का प्रचार किया"।[2]

अम्बेडकर के अनुसार प्रारम्भ में भारतीय समाज चार वर्णों में विभाजित था। ये है–ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस बात का विशेष ध्यान होगा कि प्रारम्भ में ये चार वर्ण व्यक्ति के कर्मों के अनुसार विभाजित थे, उस समय प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति अपनी योग्यता एवं दक्षता अनुसार, दूसरे वर्णों में जा सकता था परन्तु हिन्दू समाज में एक समय ऐसा आया जब जब पुरोहित वर्ग ने अपना विशिष्ट स्थान बना लिया और इस तरह स्वयं सीमित प्रथा से जातियों का सूत्रपात हुआ। डॉ0 अम्बेडकर ने समाज में सामाजिक सुधार को राजनीतिक सुधार से पहले महत्व दिया है।

डॉ0 अम्बेडकर ने समाज से जाति प्रथा एवं छूआछूत के उन्मूलन हेतु संघर्ष किया। इसके लिए उन्होंने 1924 ई0 में ''बहिष्कृत भारत'' पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया तथा इसी वर्ष इन्होंने अछूतों के खिलाफ हो रहे भेदभाव हेतु ''महद सत्याग्रह'' आन्दोलन चलाया। इसके साथ ही 1930 ई0 में ''अखिल भारतीय दलित संघ'' के अध्यक्ष बने। दलितों के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों 1930–31 में भाग लिया। दलितों पर विधान सभाओं में आरक्षण दिलाने हेतु गॉधी जी के साथ पूना पैक्ट–1932 पर इन्होंने हस्ताक्षर कर समझौता किया। 1942 ई0 में इन्होंने अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना की। ये भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाये गये तथा इन्हीं के प्रयासों से भारतीय संविधान में दलितों को उचित संरक्षण एवं प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया।[3]

2. **महिलायें एवं भारतीय समाज–** डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का सम्बन्ध केवल दलितों के हितों तक ही सीमित नहीं रहा अपितु इन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार पर बल दिया। पहले हिन्दू समाज में बहुपत्नी विवाह प्रथा भी प्रचलित थे। स्त्रियों को समाज में उचित सम्मान एवं संरक्षण दिलाने हेतु 1948 ई0 में संसद में इन्होंने ''हिन्दू कोड बिल'' प्रस्तुत किया। हिन्दू कोड बिल में यह प्रतिपादित किया गया था कि विवाह के लिए जाति निर्धारित मापदण्ड नहीं है महिलाओं को सम्पति के अधिकार एवं उत्तराधिकारों को मान्यता दी गयी थी। यह महिलाओं की सामाजिक प्रगति का द्योतक था। किन्तु इस बिल का संसद एवं उसके बाहर प्रबल विरोध हुआ। डॉ0 अम्बेडकर ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि ''हिन्दुओं की पवित्र विवाह पद्धति का मतलब है मनुष्य को बहुपत्नीत्व का अधिकार और औरत को हमेशा के लिए दासता, हिन्दू समाज अन्य किसी बात को स्वीकार कर लेगा, लेकिन अपनी सामाजिक संरचना में शूद्रों और नारियों की दासता में परिवर्तन करने के लिए वह कभी तैयार नहीं होगा''।[4]

डॉ0 अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में वर्णित स्वतन्त्रता, समानता एवं भाईचारे की संकल्पनाओं के आधार पर ही हिन्दू कोड बिल का समर्थन किया था। परन्तु कई संशोधनों के पश्चात् इसे पारित किया गया। इससे अम्बेडकर बहुत दुःखी हुए और 25 दिसम्बर 1951 को उन्होने केन्द्रीय मंत्रीमण्डल से त्यागपत्र दे दिया। मई 1955 में इसी बिल को संसद से कुछ संशोधनों सहित पास कराकर देश में लागू कर दिया गया। इस बिल के माध्यम से भारतीय हिन्दू समाज में स्त्रियों की दशा में सुधार लाने हेतु प्रयास किये गये।

3. **मजदूर एवं भारतीय समाज–** डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का उद्देश्य मजदूरों को भी समाजमें उचित न्याय एवं स्थान दिलाना था। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इन्होंने सन् 1936 ई0 में ''इन्डेपेण्डेन्ट लेबर पार्टी'' की स्थापना की।[5] जिसका उद्देश्य भारतीय समाज में मजदूरों के हितों को बढाना था। इसके माध्यम से इन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित जमीदारी प्रथा का भी विरोध किया। इन्होंने यह भी बताया कि मजदूरी में केवल निम्न वर्गों का प्रतिनिधित्व

नहीं होना चाहिए अपितु समाज के सभी वर्गो के लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए। इन्होंने मजदूर वर्ग को विशेष जाति, वर्ग से जोडने का विरोध किया। बाद में अपने इस संगठन के माध्यम से चुनाव भी लड़ा, परन्तु चुनाव में इनकी पार्टी को विरोध एवं पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद डॉ0 अम्बेडकर मजदूरों की आवाज एवं उनकी मागों को सरकार तक पहुॅचाने में सफल रहे।

4. **नशा मुक्ति एवं भारतीय समाज–** भारतीय समाज में खासतौर पर निम्न वर्गों में उस समय शराब, धूम्रपान एवं मॉस का सेवन एक बहुत बुरी लत थी उनका मानना था कि नशा एवं मांस के सेवन के कारण ही समाज में उन्हें अछूत एवं नीच का दर्जा दिया जाता था। उन्होंने समाज के निम्न वर्गों के लोग से नशा का सेवन न करने तथा गोमांस न खाने की अपील की। उन्होंने सन् 1946 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शराब बन्दी पर 9 करोड़ रूपये, खर्च करने पर लिखा कि ''पहले जब शराबबन्दी नहीं थी, सरकारी शराब की काफी दुकाने थी। उस समय गैर कानूनी शराब बनाने का धन्धा बहुत कम था, आज शराब बन्दी होने के कारण तो शराब घर–2 में बनना शुरू हो गयी है घर में शराब का धन्धा शुरू होने की वजह से औरतों एवं बच्चों में भी शराब पीने की आदत पड़ गयी है, बड़े पैमाने पर नैतिकता का पतन शुरू हो गया है''।[6] अम्बेडकर ने समाज में जागरूकता लाकर शराब आदि का सेवन न करने पर बल दिया।

5. **पोशाक, शिक्षा एवं समाज–** डॉ0 अम्बेडकर अपने जीवन में एक अनुशासित व्यक्ति थे। इन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को समय एवं स्थान के अनुसार पोशाक पहननी चाहिए। उन्होंने बताया कि हमारे पास कम से कम दो पोशाके होनी चाहिए एक जो हम धन्धा करते है। उस समय पहनने की और दूसरी पोशाक काम करने के बाद नहा धोकर पहननी चाहिए। उन्होंने ने बताया कि पोशाक के द्वारा भी शूद्र समाज निम्न स्तर बना हुआ है। उन्होंने अपने लोगों से साफ–सुथरे कपड़े, पहनने की अपील की।

   इसके साथ ही डॉ0 अम्बेडकर ने यह बताया कि समाज का निम्न वर्ग अन्ध–विश्वास, कुरीतियों एवं अशिक्षा के द्वारा ही निचले स्तर पर बना हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि इन लोगों की स्थिति में तब तक सुधार नहीं हो सकता है जब तक कि उन्हें शिक्षित न बना दिया जाये। शिक्षा के माध्यम से ही समाज के निम्न वर्ग समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त कर सके है, एवं अपने अधिकारों के प्रति समाज से लड़ सकते है।

6. **सार्वजनिक धन एवं उसका सदुपयोग–** डॉ0 अम्बेडकर का मानना था कि कोई भी समाज तब तक सामाजिक प्रगति नहीं कर सकता जब तक सरकारों द्वारा सार्वजनिक धन का सदुपयोग न किया जाये। सरकार के पास जो पैसा होता है वह सब हम लोग ही टैक्स के रूप में देते है। अतः सरकार द्वारा सार्वजनिक खर्च हेतु स्वीकृत पैसा हम लोगों के कल्याण के लिये ही होता है। यदि इस पैसे का सदुपयोग किया जाये तो समाज शीघ्र ही प्रगति कर लेगा। लेकिन सार्वजनिक धन का अधिकांश भाग बीच में ही हड़प लिया जाता है।

7. **बौद्ध धर्म, संविधान एवं समाज–** डॉ0 अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की इसी कारण इन्हें भारतीय संविधान जनक कहा जाता है। हम सभी जानते है कि भारतीय संविधान के निर्माण में अनेक देशों के संविधानों का भी योगदान रहा था। अनेक देशों के संविधानों से अच्छी–अच्छी बातों को लेकर हमारे संविधान का निर्माण किया गया था। आजादी से पहले देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत थी जिसको पूरा किया गया। डॉ0 अम्बेडकर ने बचपन से ही हिन्दू समाज में अनेक बार कठिनाइयों का सामना किया था अनेको बार वह इस समाज में अपमानित हुए। यहॉ पर भारतीय संविधान का निर्माण एवं अम्बेडकर द्वारा बौद्ध धर्म अपनाया। शायद दोनों ही

घटनायें एक दूसरे से मेल खाती है क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण दूसरे देशों से प्रेरित था। इसी प्रकार से हिन्दू समाज में व्याप्त असमानता से तंग आकर ही इन्होंने 1955 में बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार का जाति या वर्ग नहीं है। सभी समान है डॉ0 अम्बेडकर ने लिखा है कि ''मानवता की सम्पूर्ण सुरक्षा के लिए सारी दुनिया को बौद्ध धर्म का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जातिभेद की जड़ों को हमेशा–हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए हम लोगों को हिन्दू धर्म को त्यागना जरूरी है''। उन्होंने आगे भी लिखा– ''मेरी राय में एक बात निश्चित है समाज धर्म के बगैर चलेगा नहीं और वह बौद्ध धर्म ही होना चाहिए यदि समानता, प्रेम, भाईचारा आदि बातें दुनिया के उत्थान के लिए जरूरी है तो वे बाते बौद्ध धर्म से ही मिल सकती है। मैने बीस साल तक हर धर्म का अध्ययन किया है और सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद मेरी यह राय बनी है कि सारी दुनिया को बौद्ध धर्म को ही अपनाना चाहिए''। डॉ0 अम्बेडकर का बौद्ध धर्म की अच्छाइयों के प्रति उनके लगाव के कारण ही शायद उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कियाथा।

निष्कर्षः–

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का जीवन भारत में सामाजिक सुधार को समर्पित था। उन्होंने सामाजिक पर्यावरण में समानता लाने में विशेष बल दिया, उनका जीवन दलितों के उत्थान को तो प्रेरित था ही, साथ ही उन्होंने समाज में महिलाओं, बच्चों, श्रमिकों आदि सभी की स्थिति में सुधार हेतु संघर्ष किया। इन्होंने समाज को नशा मुक्ति एवं गोमांस का सेवन नकरने की सलाह दी। इन्होंने यद्यपि बौद्ध धर्म को स्वीकार किया जिसका मुख्य कारण हिन्दू धर्म में उस समय प्रचलित बुराईयां एवं बौद्ध धर्म की अच्छाइयॉ थी। वह भारत की स्वाधीनता के समर्थन थे, किन्तु स्वाधीनता के राजनीतिक पक्ष के बजाय समाजिक पक्ष को सुदृढ़ करने पर जोर देते थे उनके अनुसार ''राजनीतिक स्वाधीनता से पूर्व सामाजिक सुधार अपेक्षित हैं वे सामाजिक संरचना में अमूलचूर्ण परिवर्तन चाहते थे। संविधान सभा में उनकी भूमिका एवं प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप भारत के संविधान के निर्माण ने उनकी भूमिका प्रशंसनीय है लोकसभा में हिन्दू कोड बिल पर उनके विचारों ने उन्हें दलितों के साथ–साथ भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु उन्हें मसीहा के रूप में स्थापित कर दिया। उन्हीं के प्रयासों से ही आज दलितों एवं महिलाओं को संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया है।[7] उन्होंने सामाजिक पर्यावरण के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्हें मात्र ''दलितों के मसीहा'' कहना उनके विस्तृत कार्यक्षेत्र तथा महान व्यक्तित्व को संकुचित करना होगा। ऐसा करना निश्चय ही उनके महान व्यक्तित्व के प्रति अन्याय है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. फड़िया, डॉ0 बी0एल0–आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन (आगरा, 2010) पृ0 292।
2. फड़िया, डॉ0 बी0एल0– राजनीति विज्ञान (आगरा, 2013) पृ0 199
3. गाबा, ओ0पी0– राजनीति विचारक विश्वकोश, तृतीय संस्करण (नई दिल्ली), 2011 पृ06
4. वेयर एक्ट
5. पाण्डे, एस0के0–आधुनिक भारत (इलाहाबाद, 2014) पृ0 211।
6. विमल कीर्ति, एल0जी0 मेश्राम–और बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा...., खण्ड–5 (नई दिल्ली), 2011।
7. कश्यप, डॉ0 सुभाष–हमारा संविधान (नई दिल्ली), 2010।